

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26.03.2025

धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में उ0नि0 हरिशंकर यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2025 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),352,351(3) भा0न्या0सं0 व 3(2)V,3(2)(Va),3(1)द/ध एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त अभय साहनी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभय साहनी पुत्र विजय नाथ साहनी निवासी रिठिया पोस्ट पिपराईच थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 71/2025 धारा 318(4),319(2),338, 336(3),340(2),352,351(3)भा0न्या0सं0 व 3(2)V,3(2)(Va),3(1)द/ध एससी/एसटी एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

2. उ0नि0 हरिशंकर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अजय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 अरविन्द कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर